

# कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर



संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर



फोन/फैक्स नं०-6432 - 232397, मो०-9431137795, ई-मेल : dfo.deoghar2@gmail.com

पत्रांक 02-02 व.भू./02(01)13/2016 ..... 952 ..... देवघर, दिनांक 18/04/17

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
देवघर वन प्रमण्डल, देवघर।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,  
पुनासी बाँध प्रमण्डल,  
शिविर-देवघर।

विषय : देवघर वन प्रमण्डल, देवघर के अन्तर्गत पुनासी जलाशय योजना हेतु 291.17 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रथम स्तर में लगाये गये शर्तों के संबंध में।

- प्रसंग : 1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003, के पत्रांक F.No.-08-06/2016-FC, दिनांक 22.12.2016।
2. इस कार्यालय का पत्रांक 629 दिनांक 08.03.2017 एवं 786 दिनांक 29.03.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित योजना में प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाये गये शर्त संख्या-04 (दंडात्मक क्षतिपूरक वनरोपण) एवं शर्त संख्या-10 (Catchment Area Treatment Plan) के अनुपालन में याचित राशि अद्यतन जमा नहीं की गयी है। जमा की गयी राशि एवं बकाया राशि का ब्यौरा निम्नवत् है :-

क्र०सं०	मद	मांग की गयी राशि	जमा की गयी राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5
1	दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण	3,45,25,474.00	2,37,73,344.00	1,07,52,130.00
2	Catchment Area Treatment Plan	3,29,64,000.00	0.00	3,29,64,000.00
कुल शेष राशि				4,37,16,130.00

(चार करोड़ सैतीस लाख सोलह हजार एक सौ तीस रुपये मात्र)

अनुरोध है कि उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट Ad-hoc CAMPA in SB-Account No. - SB01025212, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, CGO कॉम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के पक्ष में तैयार कर जमा किया जाय अथवा IFSC No.-CORP0000371 में RTGS के माध्यम से जमा किया जाय तथा साक्ष्य की प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय में समर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन

18/04/17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
देवघर वन प्रमण्डल, देवघर